

विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 04.08.2016 को ली गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के कार्यवाही बिन्दु ।

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना


- 1.1 अधिकांश बैंक/पोस्ट आफिस/सहकारी बैंक द्वारा response निर्धारित प्रपत्र में electronically NIC को नहीं भेजे जाने से FTO मनरेगा पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 1.2 वर्ष 2013-14 के ऐसे FTO जो बैंक, पोस्ट आफिस एवं सहकारी बैंक में लंबित दिख रहे हैं उन सभी का परीक्षण किया जाये और बैंक, पोस्ट आफिस, सहकारी बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रेस्पोंस एनआईसी को भेजा जाये। आगामी वी.सी. दिनांक 11.08.2016 तक शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए।
- 1.3 वर्ष 2014-15 के लंबित सभी FTO का निराकरण 18.08.2016 तक कराया जाए।
- 1.4 विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए किया जावे। विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी से क्षति की राशि की वसूली हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जावे। संबंधितों से राशि की वसूली की प्रगति की आगामी वी.सी. में इसकी समीक्षा की जाएगी।
- 1.5 भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अनुश्रवण में कमी है।
- 1.6 भविष्य में विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति की स्थिति निर्मित न हो ऐसा सुनिश्चित की जावे। इस हेतु सिस्टम में भुगतान हेतु 15 दिवस के स्थान पर 7 दिवस का प्रावधान किया जावे।
- 1.7 अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। मनरेगा पोर्टल पर वर्तमान 11,454 कार्य ऐसे हैं जिन पर कोई व्यय नहीं हुआ है। ऐसे समस्त कार्य जो एक वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए लेकिन अप्रारंभ हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। इस संबंध में आवश्यक औपचारिकतायें जिला स्तर से सुनिश्चित की जाए। इन्हें राज्य स्तर से वेबसाइट से भी विलोपित कर दिया जावे।
- 1.8 प्रगतिरत ऐसे सभी कार्य जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय हो चुकी है उन्हें अगस्त माह में पूर्ण किया जावे।
- 1.9 मनरेगा पोर्टल में 74 प्रतिशत जाबकार्डधारी परिवारों का ही आधार सीडिंग हुआ है। ग्वालियर संभाग में आधार सीडिंग बहुत कम है। जिन जिलों में आधार सीडिंग 80 प्रतिशत से कम है वे अगस्त 2016 में ही अभियान चलाकर 80 प्रतिशत तक आधार सीडिंग सुनिश्चित करायें।

2. इंदिरा आवास योजना :-

- 2.1 प्रधान मंत्री आवास योजना प्रारंभ होने से इंदिरा आवास योजना बंद हो रही है। अतः इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत जिन प्रकरणों में प्रथम किश्त जारी नहीं हुई है और निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है उनमें प्रथम किश्त जारी न की जावे। ऐसे प्रकरणों में इंदिरा आवास योजना की स्वीकृतियां निरस्त की जावे। निरस्त किए गए आवासहीनों का नाम यदि सामाजिक आर्थिक जति जनगणना में न हो तो कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में अनुमोदन लेकर नाम जोड़ा जावे। ऐसे हितग्राहियों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उनकी वरिष्ठता क्रम आने पर आवास स्वीकृति दी जावे।
- 2.2 इंदिरा आवास योजना के तहत ऐसे सभी प्रकरण जिनमें प्रथम किश्त जारी की गई है उन सभी आवास गृहों को दिनांक 31.12.2016 तक पूर्ण कराया जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जनपद पंचायतवार समीक्षा करें और निर्माण पूर्ण कराने के मासिक लक्ष्य नियत करें।
- 2.3 वी.सी में जिलों द्वारा दी गई आफ लाईन एवं ऑन लाईन जानकारी में भिन्नता पाई गयी। यह सुनिश्चित किया जावे कि आगामी वी.सी. तक समस्त जानकारी ऑन लाईन हो जावे और ऑफ लाईन डाटा का उपयोग नहीं करना पड़े। आगामी वी.सी. में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनिवार्यतः उनके लेपटॉप लेकर उपस्थित हों।
- 2.4 द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु जनपद पंचायतों के स्तर पर लंबित एफ टी ओ का निराकरण दो दिवस में पूर्ण किया जावे।
- 2.5 श्री दयाशंकर सिंह, उपायुक्त वी.सी के दौरान विभिन्न जिलों द्वारा बताई गयी डाटा एन्ट्री एवं भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण कर दिनांक 6.8.16 को अपरान्ह 03.00 बजे तक विकास आयुक्त को अवगत करायें।

3. आगामी वी.सी. दिनांक 11.08.2016 को समीक्षा हेतु नियत बिन्दु :

- 3.1 इंदिरा आवास-आफलाईन तथा ऑनलाईन जानकारी एक समान किये जाने की कार्यवाही की समीक्षा।
- 3.2 इंदिरा आवास हेतु द्वितीय किश्त जारी किये जाने और आवास पूर्ण किये जाने की समीक्षा।
- 3.3 स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण की समीक्षा।
- 3.4 महात्मा गांधी नरेगा के वर्ष 2013-14 के लंबित एफ टी ओ शून्य की स्थिति में लाने की समीक्षा।
- 3.5 मनरेगा पोर्टल में आधार सीडिंग की समीक्षा।
- 3.6 विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति का निराकरण, भुगतान एवं इस हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली की समीक्षा।


05.08.2016
(आर.एस. जुलानिया)
विकास आयुक्त
म.प्र भोपाल